

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] दिल्ली, रविवार, नवम्बर 3, 2019/कार्तिक 12, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 281  
No. 307] DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 3, 2019/KARTIKA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 281

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2019

सं. फा. 23(1549)/सीएपी/परि./पीसीडी/2019/78737.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा आदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या 23(1549)/सीएपी/परि./पीसीडी/2019/1579/78617 दिनांक 01/11/2019 के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

(XXX) इलैक्ट्रिक वाहन;

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव वर्मा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

**TRANSPORT DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd November, 2019

**No. 23(1549)/CAP/TPT/PCD/2019/78737.**—In exercise of the powers conferred by section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby orders that the following entry shall be added in the schedule annexed to the notification number 23(1549)/CAP/TPT/PCD/2019/1579/78617 dated 01/11/2019 :-

(xxx) Electric vehicles;

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV VERMA, Principal Secy. –cum-Commissioner (Transport)